

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No.2020/00136 (Bank Case)

Manual no- 43/2020

एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुकेश सक्सेना पुत्र श्री लक्ष्मण स्वरूप सक्सेना जाति कायस्थ निवासी फ्लेट नं. 402, वंदना अपार्टमेंट सी 295, तलवंडी, केशोपुरा जिला कोटा (राज.) 324005 (ऋणी / बंधककर्ता)
2. श्रीमति गीता सक्सेना पत्नि श्री मुकेश कुमार सक्सेना जाति कायस्थ निवासी फ्लेट नं. 402, वंदना अपार्टमेंट सी 295, तलवंडी, केशोपुरा जिला कोटा (राज.) 324005 (ऋणी / बंधककर्ता)
3. श्री प्रशांत सक्सेना पुत्र श्री सम्येंद्र कुमार सक्सेना जाति कायस्थ निवासी
 1. ए-18 पुराणा बग्गी खाना सिविल लाईस, नयापुरा कोटा सिटी, जिला कोटा (राज.) 324006
 2. 59-ए, अर्जुन विहार, देवली अरब रोड, जिला (राज.) जिला कोटा 325201 (जमानती)

– अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 26.08.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर से अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.03.2017 को 30,00,000/- (अक्षरों: रुपये तीस लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक अचल सम्पत्ति श्री मुकेश सक्सेना पुत्र श्री लक्ष्मण स्वरूप सक्सेना व श्रीमति गीता सक्सेना पत्नि श्री मुकेश कुमार सक्सेना जाति सक्सेना की सम्पत्ति फ्लेट नं. 402, फोर्थ फ्लोर, वंदना अपार्टमेंट, तलवंडी योजना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप लगभग 1058 वर्गफीट है । चतुःसीमा- पूर्व में-फ्लेट नं. 404, पश्चिम में-खुली जगह बाद में 40 फुट चौड़ी रोड, उत्तर में-फ्लेट नं 401, दक्षिण में-फ्लेट नं. 296-सी, नीचे-थर्ड फ्लोर, उपर- पंचम फ्लोर जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.4.2006 से अप्रार्थीगण के नाम है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था । अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त


20
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्लिन्न व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 06.05.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 35,52,758.53 रुपये (अक्षरः- पैंतीस लाख बावन हजार, सात सौ अड़ठावन रुपये एवं तरेपन पैसा मात्र ।) दिनांक 05.09.2018 तक व दिनांक 6.9.2018 से आगे की बकाया राशि मय व्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय व्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते में देय ऋण राशि मय व्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 11.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय व्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 11.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की बंधक अचल सम्पत्ति श्री मुकेश सक्सेना पुत्र श्री लक्ष्मण स्वरूप सक्सेना व श्रीमति गीता सक्सेना पत्नि श्री मुकेश कुमार सक्सेना जाति सक्सेना की सम्पत्ति फ्लेट नं. 402, फोर्थ फ्लोर, वंदना अपार्टमेंट, तलवंडी योजना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1058 वर्गफीट है । चतुःसीमा- पूर्व में-फ्लेट नं. 404, पश्चिम में-खुली जगह बाद में 40 फुट चौड़ी रोड, उत्तर में-फ्लेट नं 401, दक्षिण में-फ्लेट नं. 296-सी, नीचे-थर्ड फ्लोर, ऊपर- पंचम फ्लोर जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.4.2006 से अप्रार्थीगण के नाम है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश भिन्नचित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को सुनाया गया ।


(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

